

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या

	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र-	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला-	बातबंदी
(iii)	वन प्रभाग-	सामाजिक कानिकी वन प्रभाग बातबंदी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.289 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति-	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और वंशिकी श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिधार्ई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर.एल-4 मीटर की संलग्न किन्ने जाय।	
(vii)	हरियाली का धनत्व	शून्य
(viii)	भूस्वल्प के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपल (घास/प्रादिकियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सील की वन सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
(x)	वृक्ष फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वाईडन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्थिति और प्राणिकत की दुर्लभ/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के	नहीं
(x)	क्या क्षेत्र में वनस्थिति और प्राणिकत की दुर्लभ/रक्षित/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दे?	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आदि अपेक्षित हो दे।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दे।	नहीं
	उपरोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाने गये विकल्प के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	संमित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
	जिला वन संरक्षक की त्वल निरीक्षण रिपोर्ट विस्तृत: उपयुक्त कालम-7, 8 व 9 में पूरे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्नक है-4
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4402.00 वर्ग मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	84.75 वर्ग किमी०
(iii)	भागले की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	31 भागले क्षेत्रफल है 189.3815614
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	है 378.7631228
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	रिक्त
	(ख) वनेतर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	378.7631228
	(क) वन भूमि पर	है 0
	(ख) वनेतर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्वया लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन का प्रयोग वनेतर कार्य के लिए संस्तुति की जाती इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति शून्य है।

दिनांक - 15-6-2015  
स्थान - बातबंदी

निदेशक  
हस्ताक्षर  
सरकारी मोहर  
बातबंदी